

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी जी-37 रीको 4फेज, पुर रोड भीलवाड़ा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 35/2024 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2025	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 16.05.2025 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 28609 दिनांक 20-05-2025 से अवगत कराया गया कि जरिये पत्रांक 28608 दिनांक 19-05-2025 से अपीलार्थी प्रार्थी को वांछित सूचना के सम्बंध में अवगत कराया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थी वक्त सूचना अनुपस्थित रहे है। ऐसी स्थिति में यह अवधारित माना जाता है, कि प्रार्थी अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 21-05-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(जसमीत सिंह संधू)

प्रथम अपीलार्थी अधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

भीलवाड़ा